इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 604] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2022—अग्रहायण 8, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2022

क्र. F No. 3-3-0008-2022-sec. 2-5(CT)(30).—आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4(4)(ख)(दो) ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि केन्द्र सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से तथा राज्य के हित में स्वैच्छिक आधार पर विहित करें, अधिप्रमाणन करने की अनुमति देती है.

अतएव ऐसे प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 तैयार किए हैं, जिसमें राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर ''आधार'' का उपयोग करने के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुमति की वांछा कर सकती है.

इस संबंध में भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 13(2)/2021-EG-II, दिनांक 21 फरवरी 2022 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020, के नियम 5 आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016, की सहपठित धारा 4(4)(ख)(दो) अनुसार उपयोगकर्ताओं की पहचान के अधिप्रमाणन के लिए ''संपदा सॉफ्टवेयर'' में निम्न उद्‌देश्यों हेतु दी गई अनुमति से अवगत कराया गया है:—

(i) नागरिक उपयोगकर्ता पंजीयन, (ii) सेवा प्रदाता यूजर क्रिएशन, (iii) ई-पंजीयन, (iv) ई-स्टाम्पिंग, (v) विलेखों के पंजीयन के दौरान पक्षकारों या साक्षियों के सत्यापन और (vi) विलेखों के पंजीकरण को मंजूरी देते समय उप पंजीयक की पहचान स्थापित करने के लिए.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है, कि संपत्ति पंजीकरण प्रबंधन हेतु ई-पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग हेतु मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग का ''सम्पदा सॉफ्टवेयर'' सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अनुसार पहचान के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन फाईल क्रमांक 13 (2)/2021-ईजी-2, दिनांक 21 फरवरी 2022 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, स्वैच्छिक रूप से आधार अधिप्रमाणन की वांछा कर सकेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2022

क्र. ई -3-3-4-0008-2022-sec. 2-5(CT)(30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ई-3-3-4-0008-2022-sec. 2-5(CT)(30), दिनांक 29 नवम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 29th November 2022

F No. 3-3-0008-2022-sec. 2-5(CT)(30).—Section 4 (4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe.

WHEREAS, for such purpose, the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 wherein the State Government can seek permission under the said rules to use Aadhaar on voluntary basis.

In this regard, Government of India (Ministry of Electronics and Information Technology), *vide* it's office memo No. 13(2)/2021-EG-II dated 21st February 2022, has conveyed approval of the competent authority to the Inspector General of Registration and Superintendent of Stamps, Madhya Pradesh to allow for authenticating identity of users in "SAMPADA" application for—(i) Citizen User Registration, (ii) Service Provider User creation, (iii) e-Registration, (iv) e-Stamping, (v) Verification of parties and witness to transaction during registration of deeds and, (vi) Authentication of Sub-Registrar while approving registration of deeds, in terms of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with Section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

NOW, THEREFORE, Government of Madhya Pradesh, hereby notifies that the Stamps and Registration Department's "SAMPADA" software of e-registration and e-stamping etc. for managing property registration can seek, Aadhaar authentication on voluntary basis for the purpose of identification as per rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 Subject to the conditions mentioned in the Government of India *vide* Official Memorandum File No. 13(2)/2021-EG-II, dated 21st February 2022.

This notification shall came into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.